न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया , आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 84/2019 (प्रार्थना पत्र)
GCMS No. : 2019/00223

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :– दिनांक 28.06.2023

उनवान

1. श्रीमती मन्जु पत्नि स्व0 देवीलालजी जाति नाई आयु 34 वर्ष निवासी फाचर सोलंकी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
2. सुश्री विनिता पुत्री स्व० देवीलालजी जाति नाई आयु 16 वर्ष नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती मन्जु पत्नि स्व० देवीलालजी जाति नाई आयु 34 वर्ष निवासी फाचर सोलंकी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
3. सुश्री उर्मिला पुत्री स्व० देवीलालजी जाति नाई आयु 14 वर्ष नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती मन्जु पत्नि स्व० देवीलालजी जाति नाई आयु 34 वर्ष निवासी फाचर सोलंकी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
4. सुश्री सुष्मिता पुत्री स्व० देवीलालजी जाति नाई आयु 11 वर्ष नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती मन्जु पत्नि स्व० देवीलालजी जाति नाई आयु 34 वर्ष निवासी फाचर सोलंकी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामा पिता छोगाजी जाति नाई आयु 65 वर्ष निवासी फायर सोलंकी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० मृतक के बजाए

   1/1 श्रीमति गीता पत्नि रामा जी जाति नाई निवासी फाचर सोलंकी तहसील निम्बाहेडा ।

   1/2 उदीबाई पुत्री रामाजी एवं पत्नि रामेश्वरलाल जी जाति नाई निवासी फाचर सोलंकी हाल मुकाम बडावली तहसील निम्बाहेडा ।

   1/3 संतोष पुत्री रामा जी एवं पत्नि देवीलाल जी जाति नाई निवासी फाचर सोलंकी तहसील निम्बाहेडा हाल मुकाम बसेडा तहसील छोटी सादडी जिला प्रतापगढ ।

2. धनराज पिता छोगाजी जाति नाई आयु वयस्क निवासी फाचर सोलंकी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।
4. श्रीमान उपपंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

....विपक्षीगण

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा फाचर सोलंकी पटवार हल्का उंखलिया तहसील निम्बाहेडा में निम्न आराजियात स्थित [illegible] खाता संख्या 120 की आराजी नम्बर 29 रकबा 0.400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 30 रकबा [illegible] हैक्टेयर, आराजी नम्बर 31 रकबा 0.100 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 327 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 383 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 419 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 421 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 424 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 431 रकबा [illegible] हैक्टेयर, आराजी नम्बर 448 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण 2,3,4 के पिता एवं प्रार्थिया क्रमांक 1 के पति श्री देवीलाल की पुश्तैनी पेतृक आराजियात है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात मूल पुरूष छोगा जी के नाम पर थी और छोगा जी के देहान्त के बाद उक्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 रामा जी के नाम पर विरासत से दर्ज रेकार्ड हुई और रामा जी विपक्षी संख्या 1 के दो पुत्र क्रमशः देवीलाल एवं धनराज हुए, जिसमे देवीलाल फोत हो चुका है, जिसके वारिस प्रार्थीगण मन्जु विनिता, उर्मिला, सुशीला हुए जिनका उक्त वर्णितः आराजियात में 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से निहित हैं तथा रामा विपक्षी संख्या 1 का भी 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 धनराज का भी 1/3 हिस्सा निहित हैं और इसी अनुसार मौके पर बाहमी तौर से बंटवारा कर अलग अलग काबिज चले आ रहे हैं।

3. वर्तमान में भूमियो की कीमतो में भारी वृद्धि हो जाने के कारण एवं विपक्षी संख्या 1 रामा जी की उम्र भी काफी हो जाने से वो अन्य लोगो के बहकावे में आकर वादग्रस्त आराजियात को जरिये रहन, बय, बक्षीश या अन्य तौर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण करने पर आमादा है और प्रार्थीगण का हक हिस्सा मानने से भी इंकार करने लग गये है, जबकि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी पैतृक होने से उक्त आराजियात में प्रार्थीगण के पिता व पति के 1/3 हक हिस्से की आराजियात में विधिक तौर से हक अधिकार निहित चला आ रहा हैं और प्रार्थीगण अपने पिता व पति देवीलाल जी के 1/3 हिस्से पर शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के पारिवारिक सेटलमेन्ट के अनुसार निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिसकी खातेदारी घोषणा प्रार्थीगण अपने नाम पर कराने के अधिकारी हैं।

4. प्रार्थीगण के पिता व पति देवीलाल का स्वर्गवास दिनांक 07.08.2011 को हो चुका हैं और देवीलाल जी की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ही उक्त देवीलाल के 1/3 हक हिस्से के विधिक रूप से अधिकारी हैं तथा वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा भी इसी अनुसार करा कर प्रार्थीगण अपना 1/3 हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है तथा विपक्षी संख्या 1 का भी 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 का भी 1/3 हक हिस्सा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक हैं।

5. वादग्रस्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने से वो प्रार्थीगण को धमकीयां दे रहे है कि वादग्रस्त आराजियात खुर्द बुर्द कर देंगे और प्रार्थीगण को उनके जायज हक से महरूम कर देंगे, चूँकि मूल वाद की सुनवाई होकर निर्णय में समय लगने की संभावना हैं, तब तक विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित की जाकर पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो वादग्रस्त आराजियात के किसी भी भू भाग को जरिये रहन, बय, बक्षीश या अन्य तौर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करें न करावें तथा किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे न करावें एवं मौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें न करावें तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल नहीं करें न करावें व प्रार्थीगण को शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हो। यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पायेगी तथा प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना व्यर्थ हो जावेगा। और प्रार्थीगण की आजीविका छीन जावेगी ।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश किया गया कि प्रार्थीगण ने दावा गलत तथ्यों पर पेश किया है, जो आगे चलकर खारिज होगा ऐसी पूर्ण संभावना है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात ग्राम फाचर सोलंकी पटवार हल्का उंखलिया तहसील निम्बाहेडा में होना स्वीकार हैं। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना स्वीकार हैं, जो विरासत से मृतक विपक्षी संख्या एक रामा जी के नाम पर दर्ज हुई। रामा जी की मृत्यु दिनांक 17.05.2022 को हो चुकी हैं। जिनके वारिसान उनकी पत्नी गीता, पुत्री उदीबाई व संतोष व [illegible] देवीलाल की मृत्यु रामा जी के जीवनकाल में ही हो गई थी, जिसके वारिस [illegible] मन्जु आदि हैं। इस कारण सजरा अधूरा पेश होने के कारण [illegible] आराजियात में प्रार्थीगण/वादीगण का 1/5 हिस्सा तथा [illegible] विपक्षी का [illegible] 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से निहित हैं और इसी अनुसार कानूनी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sivi Punadia
Date: 2024.01.06 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि विपक्षी रामा जी की मृत्यु हो जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो गया हैं। क्योंकि कानूनी तौर पर पुरी जांच पडताल के बाद ही मृतक के वारिसान के नाम पर इंतकाल खुलेगा और अदालत में दावा विचाराधीन होने से रामा जी के वारिसान के नाम पर इंतकाल नहीं खुला है, न ही कोई भी विपक्षी गैरकानूनी तरीके से अपने नाम पर इंतकाल खुला सकता है। प्रार्थीगण/वादीगण संयुक्त रूप से मृतक रामा की

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वर्णित जमीन के 15 हिस्से के उत्तराधिकारी है। जिससे विपक्षीगण को कोई एतराज नहीं हैं तथा विपक्षी भी प्रत्येक 1 /5– 1/5 हिस्से का उत्तराधिकारी हैं।

8. विपक्षी संख्या एक रामा की मृत्यु हो चुकी है और आराजियात अभी भी मृतक रामा के नाम पर हैं। इस कारण आराजियात के खुर्द बुर्द होने की कोई संभावना नहीं हैं। कानूनन मृतक के वारिसान का हिस्सा बनेगा उतने ही हिस्से का इंतकाल खुल सकता हैं। इस प्रार्थना पत्र में मृतक विपक्षी संख्या एक रामा जी के खिलाफ अनुतोष मुख्य रूप से चाहा गया था और मरा हुआ व्यक्ति जमीन को खुर्द बुर्द व हस्तांतरण नहीं कर सकता हैं। इस कारण यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कानूनन रूप से चलने योग्य नहीं हैं। मृतक रामा जी की मृत्यु हुए लगभग एक वर्ष होने को आया हैं और प्रतिवादीगण/विपक्षीगण के नाम पर 1/5–1/5 भाग का इंतकाल नहीं खुलने से विभिन्न सरकारी योजनाओ का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण लेना संभव रहा हैं। कॉपरेटिव सोसायटी आदि से भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है, न ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सहायता मिल पा रही है अर्थात् बिना वजह ही विपक्षीगण परेशानी झेल रहे हैं।

9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी संख्या एक रामा की मृत्यु हो चुकी है और आराजियात अभी भी मृतक रामा के नाम पर हैं। इस कारण आराजियात के खुर्द बुर्द होने की कोई संभावना नहीं हैं। कानूनन मृतक के वारिसान का हिस्सा बनेगा उतने ही हिस्से का इंतकाल खुल सकता हैं। इस प्रार्थना पत्र में मृतक विपक्षी संख्या एक रामा जी के खिलाफ अनुतोष मुख्य रूप से चाहा गया था और मरा हुआ व्यक्ति जमीन को खुर्द बुर्द व हस्तांतरण नहीं कर सकता हैं। इस कारण यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कानूनन रूप से चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी क्रमांक 1 के नाम दर्ज है। पूर्व में दिनांक 04.06.2019 से विपक्षीगण के विरूद्व न्यायालय हाजा से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। विपक्षी क्रमांक 1 रामा की मृत्यु हो गई है इसलिए दखलन्दाजी करने की कोई संभावना नहीं है। विपक्षी क्रमांक 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं।

2. सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति– चूंकि वाद वर्णित भूमि के विपक्षी क्रमांक 1 खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी खातेदार मृतक काश्तकार होने से प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। इसलिए प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं सुविधा का संतुलन विपक्षीगण के पक्ष में हैं, तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति होने की संभावना नही हैं।

3. वाद वर्णित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। पूर्व में भी प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे खारिज किया जाना उचित हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता हैं तो भी विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से में दखलन्दाजी कर कब्जा करने की कोई संभावना नहीं है। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
श्री बिहारीलाल बनाम श्री मांगीलाल
पत्रावली संख्या : 180 / 2022
GCMS No. : 2022 / 376

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है कि मौजा फाचर सोलंकी पटवार हल्का उंखलिया की आराजी नम्बर खाता संख्या 120 की आराजी नम्बर 29 रकबा 0.400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 30 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 31 रकबा 0.100 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 327 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 383 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 419 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 421 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 424 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 431 रकबा हैक्टेयर, आराजी नम्बर 448 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि मे न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.06.2019 को निरस्त की जाती हैं, और प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

28/6/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner